कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: संशोधित आदेश :-

क्र.–9/एक–11–1/97/(S.W.) जबलपुर दिनांक–28.अप्रैल 2023

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो **दिनांक 03 जनवरी 2023** को जारी किया गया है उसमें आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 19 में दर्शित न्यायालय **जिला न्यायाधीश (उन्नीसवें), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक–04 के पश्चात निम्नवत विषय प्रतिस्थापित किया जाता है।

05. मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र को लेकर जो क्षेत्राधिकार निर्धारित किया है उसे यथावत रखते हुये कार्य विभाजन पत्रक में विकल्प के रूप में धारा 166(2) मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत यदि पक्षकारगण जबलपुर के निवासी हैं या उनका कारोबार है, वह इस तथ्य के अधिकरण का समाधान कराते हुये तहसील पाटन एवं सिहोरा में घटित दुर्घटना के मामले उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगें।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठा. क्र.1786/एक–11–1/97/(S.W.) जबलपुर दिनांक–29. अप्रैल 2023

01– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
02– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर,
03– ....जबलपुर
04– फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर
05– अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर